



प्रेस नोट - दिनांक 27.11.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।



## गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** आज दिनांक 27.11.2024 को प्र०नि० श्री चन्द्रकान्त मिश्र मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना अजगैन द्वारा पंजीकृत मु०अ०सं०-358/24 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त चन्द्रप्रकाश पुत्र महेश प्रसाद नि० ग्राम रायपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष को घर से गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

चन्द्रप्रकाश पुत्र महेश प्रसाद नि० ग्राम रायपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रकान्त मिश्र
- 2-उ०नि० श्री उदय सिंह
- 3-का० अमन कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 27.11.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।



## एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** आज दिनांक 27.11.2024 को उ०नि० श्री थान सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा सम्बन्धित केस सं० 892/24 धारा 3/25 आर्म एक्ट में निर्गत NBW से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र होरीलाल पासी नि०ग्राम फिरोजपुर थाना हसनगंज, उन्नाव उम्र 34 वर्ष को घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज कुमार पुत्र होरीलाल पासी नि०ग्राम फिरोजपुर थाना हसनगंज, उन्नाव उम्र 34 वर्ष

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1 उ०नि० श्री थान सिंह थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 2 का० अमन कुमार थाना हसनगंज उन्नाव





प्रेस नोट - दिनांक 27.11.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।



## हत्या के प्रयास एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाला उपद्रवी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** आज दिनांक 27.11.2024 को उ०नि० श्री हरिन्द्र प्रसाद मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु०अ०स० 263/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA Act व मु०अ०स० 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/324(5)/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त इसरार पुत्र हसमत निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव उम्र करीब 65 वर्ष को गंज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इसरार पुत्र हसमत निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव उम्र करीब 65 वर्ष

### अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 264/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 324(5), 118(1), 110, 115(2), 352, 74, 333, 351(3) BNS

2. मु०अ०स० 263/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 सीएलए एक्ट

3. मु०अ०स० 1887/2008 धारा 147, 323,, 325, 504, 506 भादवि थाना बांगरमऊ


### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० हरिन्द्र प्रसाद
2. का० रामनिवास ,
3. का० गोविन्द सिरोही ,
4. का० अंकुश कुमार



## ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब की 08 भट्टियां एवं करीब 07 कुंतल लहन को नष्ट किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बीघापुर/पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.11.2024 को थाना असोहा पुलिस व आबकारी टीम द्वारा ड्रोन कैमरों की मदद से गहनता से तलाश करते हुए अवैध कच्ची शराब की 08 भट्टियों एवं करीब 07 कुंतल लहन को नष्ट किया गया।





प्रेस नोट - दिनांक 27.11.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।



## युवक के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 26.11.2024 को रवि पुत्र रमेश उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 25.11.2024 को रात्रि को समय करीब 01.00 बजे वह लवकुश गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह में फोटो ग्राफी कर रहा था तभी मेरी भाभी की बुआ का लड़का अंकित पुत्र कल्लू निवासी ग्राम रनागढी थाना माखी अपने दो अन्य साथी नाम पता अज्ञात के साथ अपनी स्कार्पियों गाड़ी स0 UP 77 S 5259 से आया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने लगा मेरे द्वारा उसका विरोध किया गया तो उपरोक्त सभी लोगो द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई तथा मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने लगे तभी पुलिस के आ जाने से उपरोक्त सभी लोग मुझे प्रधान ढाबा के पास छोड़कर भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सफीपुर पर मु0अ0स0 309/24 धारा 140(1)/115(2)/352/351(3) बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। थाना सफीपुर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी अंकित उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार बरामद कर मेंहदी खेड़ा पुलिसिया से गिरफ्तार किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित उर्फ मनीष कुमार पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू नि0 ग्राम रनागढी थाना माखी जिला उन्नाव उम्र 24 वर्ष

**बरामदगी-** घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार

## गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री अनुपम सिंह भदौरिया  
हे0का0 यशवन्त सिंह  
का0 राघवेन्द्र गुर्जर

